

कोटि की कम लागत वाली फिल्मों के निर्माण हेतु तथा सिनेमा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए फिल्म वित्त निगम स्थापित किया हुआ है । कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने फिल्म विकास निगम स्थापित किए हुए हैं ।

लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए खनिजों का सर्वेक्षण

3929. श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिजों तथा वन उत्पादों जैसे कच्चेमाल से संपन्न जिलों का सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है ताकि उनसे संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाया जा सके ,

(ख) यदि हा, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक योजना न बनाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी श्यामा भवती) : (क) स्थानीय स्रोतों, स्थानीय कुशलता और स्थानीय माग के आधार पर लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की दृष्टि से लगभग सभी जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिस में देश के सभी जिले थोड़ी सी भ्रमण में ही आ जायेंगे, विद्यमान लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नये औद्योगिक क्रिया कलाप की स्थापना के लिए सर्वेक्षणों की सबीक्षा की जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजभाषा अधिनियम, 1968 के उपबन्धों की क्रियान्विति

3930. श्री राम प्रसाद बेशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उन के मन्त्रालय/विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1968 और उस के अन्तर्गत जून, 1976 में बनाये गये नियमों के बारे में अपने सचिव और अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना दे दी है तथा क्या उन्हें इनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है ,

(ख) यदि हा, तो मन्त्रालय/विभाग ने उत्तर दिया है कि उक्त उपबन्धों और नियमों का पूरी तरह में पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं और उक्त नियमों का पूरी तरह से पालन मुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल-कृष्ण भट्टवाणी) : (क) जी हा ।

(ख) और (ग). यथा सशोधित राजभाषा अधिनियम तथा राज भाषा (सब के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों को यथा सम्भव हद तक कार्यान्वित किया जा रहा है । उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पूरी तरह पालन न होने के मुख्य कारण हैं पर्याप्त अनुवाद सुविधाओं और हिन्दी टाइपिन्टो आदि की कमी तथा अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों का हिन्दी में प्रवीण न होना या हिन्दी में काम करने का अभ्यस्त न होना । उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) मंत्रालय के विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी के